राजस्थान सरकार
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक 5655

दिनांक 16.5.22

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 459 दिनांक 25.04.2022 के द्वारा चिकित्सक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट के पदों पर आवश्यक अस्थाई आधार (युटीबी) आधारित भर्ती के संबंध में इस कार्यालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति प्रकाशित की जाकर चिकित्सक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आवेदन ऑन लाईन आमंत्रित किए गए थें। इसी के साथ लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के आवेदन पत्र ऑफ लाईन आमंत्रित किए गए थें। इसी क्रम में शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राज0 सरकार के पत्र क्रमांक प.14(1)चिस्वा/2/2022 दिनांक 12.05.2022 द्वारा आदेश दिए गए है कि कोविड काल में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा–सुश्रूषा करने वाले आवश्यक अस्थाई आधार पर नियोजित कर्मचारियों को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से पूर्वानूसार निर्धारित शर्तो के अध्यधीन भरा जावेगा।

अतः जिन अभ्यार्थियों ने इस विभाग की विज्ञप्ति के क्रम में चिकित्सक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के युटीबी आधारित पदों के लिए ऑन लाईन आवेदन भरें है उनको सूचित किया जाता है कि वे कोविड काल में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा–सुश्रूषा करने वाले आवश्यक अस्थाई आधार पर नियोजित कर्मचारियों के रूप में यदि उनके पास कार्यानुभव रहा है तो उक्त कार्यानुभव संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2022 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 20.05.2022 सांय 5.00 तक इस विभाग द्वारा जारी अधिकृत वेबसाईट http://zilabikaner.in/onlineform/ उक्त प्रमाण पत्र सबमिट करें। तथा साथ ही जिन अभ्यार्थियों ने लैब टेक्नीशियन तथा फार्मासिस्ट के युटीबी आधारित पदों के ऑफ लाईन आवेदन इस कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के क्रम में प्रस्तुत किए है वह सभी आवेदक भी कोविड काल में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा–सुश्रूषा करने वाले आवश्यक अस्थाई आधार पर नियोजित कर्मचारियों के रूप में यदि उनके पास कार्यानुभव रहा है तो उक्त कार्यानुभव संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2022 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 20.05.2022 सांय 5.00 तक ऑफ लाईन हार्ड कॉपी इस कार्यालय में जमा करवा सकेगें।

नोटः–

1–निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत कार्यानुभव सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नही किये जायेगे।

2–पदों की संख्या पूर्व विज्ञापन अनुसार ही यथावत रहेगीं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर